

12

ANNEXURE.....
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL(PAURI)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mr/Mrs/Miss. Chandra Shakher Bhatt** I.A.S deputy commissioner Garhwal on date 27-2-17 at time 11:30 AM at **Pauri** in which application claiming rights in civil soyam area measuring 4.86 hect. for the construction of Naugoan to Bhukhandi Motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Yamkeshwar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Garhwal (Pauri)

Dated: 27-2-2017


(CHANDRA SHAKHAR BHATT)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of Naugoan to Bhukhandi Motor Road (Length 6.1 Km) regarding FRA is as following :

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 4.86 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes, Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला प्रमुख सदस्य

सदस्य 13 उमरोली

ग्राम-सेन्टी, पो. यमकेवर, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी

पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी

भूमि संरक्षण वन प्रभाग

लेन्सडोन

अधिशारी अभियन्ता

सि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई०

कोटद्वारपौड़ी (गढ़वाल)

(चन्द्रशेखर भट्ट)

जिलाधिकारी

गढ़वाल

F.R.A

P-45

FORM 1
(for project of other linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No. 324

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Dated 27/2/2017

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 4.86 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Bukandi villages(s) in Yamkeshwar tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.86 hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA,
- The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diversion and the compensation and amelioratie measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of Bukandi villages(s) is enclosed as annexure annexure 1 to annexure 4.
- The discussion and dicision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.
- The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The Right of primitive travel group and pre agriculture communities when applicable have been specifically safeguarded as per saction 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

जिला मजिस्ट्रेट
गढ़वाल

F.R.A

P-44

Annexure -1

FORM 1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal

No. 324

Dated 27/2/2017


To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialled and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.86 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road Construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Bukandi villages(s) in Yamkeshwar tehsils.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.86 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl.: As Above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal
Pauri Garhwal

जिला मजिस्ट्रेट
गढ़वाल

Annexure -II

FRA

P-46

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम:- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से कि०मी० 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बुकण्डी
तहसील:- यमकेश्वर

जिला:-पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तरखण्ड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग कि०मी० 15.00 से कि०मी० 21.00 परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है० आरक्षित वन भूमि 4.86 है० सिविल सोयम भूमि शून्य है०, वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.86 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुकण्डी द्वारा दिनांक 11/4/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.86 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव

विकास अधिकारी

सहायक विकास अधिकारी

वि. ख. यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)

प्रशासक
ग्राम प्रधान प्रशासक

वि. ख. यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

तहसीलदार
यमकेश्वर

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड (लो० नि० वि०)
कोटद्वार (गढ़वाल)

SDM (Y)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो० नि० वि०
पी.आई.यू. (पी.एम.जी.एस.आइ.)

F.R.A

P-47

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 11.4.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बुकोडा

[illegible]

P.R.A

P-48

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण- पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, यमकेश्वर

उपखण्ड यमकेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग (शून्य हे० आरक्षित वनभूमि, 4.86 हे० सिविल एवं सोयम एवं सोयम वनभूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि). अर्थात् कुल 4.86 हे० वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील यमकेश्वर) की दिनांक 11/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डी० पी० सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री <u>डी० पी० सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | <u>यमकेश्वर</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>धीरेंद्र चरण</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>यमकेश्वर</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>वृन्दा कान्त सिंह</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>यमकेश्वर</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>डॉ० राजेश कुमार</u> | डी०डी०सी० क्षेत्र | <u>बुकण्डी (यमकेश्वर)</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जलपट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 15.00 से 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है० का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी डी० पी० सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006

P.R.A

P-49


के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड यमकेश्वर परिक्षेत्र के नौगांव से कुकण्डा मो. मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.06 हे० वन भूमि सिख की जमीन एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील यमकेश्वर
जनपद पैदा

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील यमकेश्वर
जनपद पैदा